न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0न0:– 39/2013 **तारीख रजू:–19.08.2013**

पीठासीन अधिकारी :– दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

1. श्रीमति मोतियॉ देवी पत्नि श्री जगदीश नारायण उम्र 52 वर्ष जाति सुनार निवासी शिवाड़ तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।

–प्रार्थीया

बनाम

1. हुकमचंद पुत्र श्री मोती लाल कोली उम्र 60 वर्ष जाति कोली निवासी शिवाड़ तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
2. गणपत पुत्र रामचन्द्र उम्र 40 वर्ष जाति कोली जाति कोली निवासी कंवरपुरा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
3. जगदीश पुत्र लक्ष्मण उम्र 41 वर्ष जाति बैरवा निवासी कंवरपुरा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
4. यशवन्त पुत्र पेमा उम्र 35 वर्ष जाति कोली निवासी शिवाड़ तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
5. ब्बलू पुत्र लक्ष्मीनारायण उम्र 32 वर्ष जाति कोली निवासी शिवाड़ तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
6. विनोद पुत्र रामरतन धोबी उम्र 33 वर्ष जाति कोली निवासी शिवाड़ तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
7. मनभर पत्नि छीतर उम्र 46 वर्ष जाति बैरवा निवासी कंवरपुरा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
8. रूपचन्द पुत्र स्व0 छीतर उम्र 37 वर्ष जाति कोली निवासी कंवरपुरा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
9. चमन पुत्र स्व0 छीतर उम्र 33 वर्ष जाति कोली निवासी कंवरपुरा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
10. घनश्याम पुत्र स्व0 छीतर उम्र 30 वर्ष जाति कोली निवासी कंवरपुरा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
11. दीपक पुत्र स्व0 छीतर उम्र 26 वर्ष जाति कोली निवासी कंवरपुरा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
12. विमला देवी पत्नि स्व0 छीतर उम्र 35 वर्ष जाति कोली निवासी कंवरपुरा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
13. श्रीमति जाना देवी पत्नि स्व0 छीतर उम्र 55 वर्ष जाति कोली निवासी कंवरपुरा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
14. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर

–अप्रार्थीगण

उपस्थित::–

प्रार्थी वकील:–श्री लोकेश कुमार सीठा एडवोकेट

अप्रार्थी वकील:–1 लगायल 7 एकपक्षीय कार्यवाही एवं 8 लगायत 13 [illegible] एडवोकेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.08.05 17:50:23 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक:– 05.08.2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

1. यह है कि प्रार्थीया के कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 1731 रकबा 2.87 है0, खसरा नंबर 1746 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.95 है0 वाके ग्राम [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

शिवाड़ स्थित है। जिसमें प्रार्थीया काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया की उक्त भूमि में आने जाने का रास्ता ग्राम शिवाड़ से निवाई मुख्य सड़क से खसरानंबर 1778 सिवायचक भूमि से हाकर 1756, 1757, 1749 की पश्चिम मेडछ पर होकर बना हुआ है। मेड के सहारे लगभग 15 फिट चौड़ा कच्चा रास्ता वर्षों से बना हुआ है, जिसमें से होकर प्रार्थीया व प्रार्थीया के परिवार के सदस्य एवं साझी हमेशा से उपरोक्त खसरा नंबरान में बने हुए कच्चे रास्ते में होकर ट्रेक्टर, हल, कुली गाड़ी, सामान इत्यादि लाते ले जाते हैं। प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि में आने जाने का रास्ता इस रास्ते के अलावा नहीं है। प्रार्थीया ने उक्त भूमि सात–आठ साल पूर्व नवाब खां बन्जारा से क्रय की थी, जो भी पूर्व में इसी रास्ते से अपने खेतों में आता जाता था। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो अकारण ही प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1731 एवं खसरा नंबर 1746 में आने जाने वाले वर्षों पुराने रास्ते पर जाने से टोका टोकी करते हैं तथा तंग व परेशान करते हैं। प्रार्थीया के खेत खसरा नंबर 1731 एवं खसरा नंबर 1746 पर जाने का रास्ता शिवाड से निवाई रोड से खसरा नंबर 1778 सिवायचक भूमि व खसरा नंबर 1756 अप्रार्थी संख्या 1, खसरा नंबर 1757 अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 एवं खसरा नंबर 1743 8 लगायत 13 (इनके स्व0 पिता एवं पति छीतर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है और इनके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनको पक्षकार बनाया है।) के खेतों की पश्चिमी मेड़ पर होकर जा रहा है, जो लगभग 15 फिट चौड़ा कच्चा रास्ता है। जिसमें आने जाने का प्रार्थीया को सुखाधिकार प्राप्त है व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 को उक्त रास्ते को बंद करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया के खेत आराजी खसरा नंबर 1731, 1746 में आने जाने वाले रास्ता जो अप्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 1756, 1757, 1743 व 1778 सिवायचक भूमि की पश्चिम मेड़ पर होकर जा रहे वर्षों पुराने 15 फिट चौड़े रास्ते की नक्शा ट्रेस में तरमीम कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 को पाबंद फरमाया जावे की वह प्रार्थीया के खेत खसरा नंबर 1731 व 1746 में प्रार्थीया के आने जाने वाले उपरोक्त रास्ते में न तो स्वयं कोई बाधा उत्पन्न करें न ही किसी अन्य से करावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थीगण किये जाकर उनको न्यायालय में तलब किया गया।

3. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 बावजूद तामील अनुपस्थित रहे अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. यह है कि अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 13 ने अपना जवाब पेश किया है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण के पिता को सन् 21.10.75 को खसरा नंबर 1019 रकबा 5 बीघा भूमि अवंटिन हुई थी। तबसे हल्का पटवारी ने जिस जगह कब्जा संभलाया था, उसी जगह पर काश्त करते चले हा रहे हैं। सेटलमेंट होने के पश्चात् अप्रार्थीगण की काश्त आराजीयात का नक्शा ट्रेस एक जगह तरमीम न करके अलग–अलग बना दिया। मौके के अनुसार न बनाकर अपनी मनमर्जी से बना दिया। अप्रार्थीगण का हाल कब्जा काश्त खसरा नंबर 1754 व 1755 व हाल खसररा नंबर 1756 जिसके पुराने खसरा नंबर 9019/9/2 जरिये विक्रय पत्र किमती स्टाम्प 100 रूपये आनन्दा पुत्र घासी (2) किशन लाल पुत्र आनन्दा से 6000 [illegible] खरीद कर कब्जा काश्त चली आ रही है, जबकि रिकॉर्डेड खातेद[illegible] नहीं बनाया है, जिसका वाद न्यायालय एसडीओ, चौथ [illegible] विचाराधीन है। अप्रार्थीगण की क्रयशुदा आरा[illegible] अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 12 के पिता अप्रार्थी [illegible] को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थीया को रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थीगण को [illegible] आपत्ति नहीं है और अप्रार्थीगण शिवाड़ के निवासी हैं, जबकि प्रार्थना पत्र में कं[illegible] अंकित है, जिससे प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Sing
Date: 2024.08.05 17:30:23 IST
Reason: SelfAttested

5. यह है कि प्रकरण में तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने अपने पत्रांक भू0अ0/2022/368 दिनांक 17.02.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो कि निम्नानुसार है–

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

- यह है कि वादीया द्वारा स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1731 रकबा 2.87 है0 एवं खसरा नंबर 1746 रकबा 0.08 है0 पर आने जिने हेतु खसरा नंबर 1755, 1757, 1756 खातेदारी के बीच की मेड़ तथा खसरा नंबर 1774 किस्म गै0मु0 चारागाह में से रास्ता चाहा है, जो रोड से लगता हुआ है। भू0अ0 निरीक्षक वृत शिवाड़ की रिपोर्ट के अनुसार लघुत्तम दुरी का रास्ता खसरा नंबर 1754 किस्म गै0मु0 चारागाह एवं खसरा नंबर 1750 व 1755 के बीच की खातेदारी मेड़ से प्रस्तावित किया है।
- मौका स्थिति एवं रिपोर्ट पटवारी के अनुसार दोनों ही वैकल्पिक रास्तों में चारागाह भूमि पड़ती है। राज्य सरकार के आदेशानुसार चारागाह भूमि में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। उपरोक्त खसरा नंबरान पर पहुंचने के लिऐ कोई भी रिकॉर्डेड रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है।
- उपरोक्त खसरा नंबरान पर आने जाने के लिए खसरा नंबर 1754 की उत्तरी भाग की तरफ 4 मीटर चौड़ा एवं 92 मीटर लम्बा अर्थात 368 वर्गमीटर, खसरा नंबर 1755 में से 2 मीटर चौड़ा एवं 80 मीटर लम्बा अर्थात 160 वर्गमीटर तथा खसरा नंबर 1750 में से 2 मीटर चौड़ा एवं 172 मीटर लम्बा अर्थात 344 वर्गमीटर रास्ता प्रदान करने के लिए स्थानीय डी0एल0सी0 दर का दुगुना राजकोष में जमा कराया जाकर रास्ता दिया जाना उचित होगा, साथ ही चारागाह की क्षतिपूर्ति आवेदक की खातेदारी में से नियमानुसार दर्ज कराया जाना उचित होगा।

6. बहस बकुलाय सुनी गयी। हमने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थीया द्वारा अपनी आराजी खसरा नंबर 1731 व 1746 तक पहुंचने हेतु खसरा नंबर 1778 (प्रार्थीया द्वारा सिवायचक बताया गया है) एवं खसरा नंबर 1756, खसरा नंबर 1757 एवं खसरा नंबर 1743 में से 15 फिट चौड़ा रास्ता चाहा है। तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार लघुत्तम रास्ता उक्त खसरा नंबरान में से न होकर खसरा नंबर 1754 (चारागाह) एवं खसरा नंबर 1750 एवं 1755 (निजी खातेदारी) की मेड से होना बताया है। प्रार्थीया द्वारा मांग किया गया रास्ता लघुत्तम दूरी का न होने के कारण खसरा नंबर1756, खसरा नंबर 1757 एवं खसरा नंबर 1743 में से रास्ता दिया जाना उचित नहीं है। साथ ही प्रार्थी द्वारा तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा द्वारा बताये गये लघुत्तम दूरी के रास्ते से प्रभावित खसरा नंबर 1750 व 1755 के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। प्रभावित काश्तकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना उनकी भूमि से रास्ता दिया जाना उचित नहीं है। साथ ही खसरा नंबर 1754, जो कि चारागाह भूमि है, वह वैसे भी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ है, अतः भूमि पर रास्ता कायम करने की कोई तार्किक आवश्यकता इस न्यायालय को प्रतीत नहीं होती है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना उचित समझता हूं।

—:आदेश:—

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar S
Date: 2024.08.05 17:50:23 IST
Reason: SelfAttested

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा